रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2010/ज्येष्ठ 19, 1932

No. 325] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2010/JYAISTHA 19, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

सा.का.नि. 490(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पायनियर काडर में कतिपय (समूह 'ख' और 'ग' पदों) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उप-निरीक्षक (सिविल)	20* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य, (1) निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक और चिकित्सा मानदंड अवश्य होना चाहिए, अर्थात् :— (क) ऊँचाई - 170 सें.मी. (ख) छाती - 80 से.मी. (बिना फुलाए) और 85 से.मी. (फुलाने पर) (ग) वजन - ऊँचाई के अनुरूप (2) दृष्टि : बिना सुधार, अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आँखों की न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (3) रंग दृष्टि : अभ्यर्थियों की, उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(8)
(4) अभ्यर्थी को संहतजानु, सपाट पाँव, फूली हुई शिराएं और तिर्यक दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्ष पालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो ।   (5) अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी होगी ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति** : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (पायनियर) जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 10 वर्ष नियमित सेवा की हो और यथा विहित प्रोन्नत पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने के अध्यधीन और चिकित्सीय प्रवर्ग शेप-1 में हो । **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय और राज्य लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक संगठनों के अधिकारियों में से ऐसे अधिकारी — (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता हैं । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)		(14)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—		लागू नहीं होता ।
1. उप पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—अध्यक्ष	
2. कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—सदस्य	
3. उप कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल (पायनिर)	60* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति** ऐसे कांस्टेबल (पायनिर) जिसने अपेक्षानुसार विहित पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त करने के अध्यधीन और चिकित्सीय प्रवर्ग शेप-1 में होते हुए, उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, **प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय और राज्य लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक संगठनों के अधिकारियों में से ऐसे अधिकारी— (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा रखते हों या समतुल्य या पक्की चिनाई/बढ़ई/पलंबिंग/बिजली/मिस्त्री/लुहार/वेल्डिंग/रोगन आदि जैसे व्यवसाय में तीन वर्ष के अनुभव सहित मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । अधिमानता उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/मान्यताप्राप्त संस्थानों से व्यवसाय का तीन वर्षीय प्रमाण-पत्र हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होगा ।

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष 2. कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य 3. उप कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कांस्टेबल (पायनिर)	120*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 23 वर्ष के बीच, सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** : प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लेखित अंतिम तारीख होगी)।

(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य— (क) पक्की चिनाई या बढ़ईगिरी या नलसाजी या बिजली मिस्त्री या लुहार या वेल्डिंग या रोगन आदि जैसे संबंधित व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव । (ख) अधिमानता उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय का प्रमाण-पत्र हो । 2. शारीरिक मापदंड ऊँचाई - 170 सें.मी. सीना - 80 सें.मी. (फुलाने के पश्चात् 85 सें.मी.) वजन - चिकित्सीय मानदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपातानुसार 3. दृष्टि : बिना सुधार, अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आँखों की न्यूनतम दूर की दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । 4. रंगदृष्टि : अभ्यर्थियों को उच्च रंग दृष्टि का होना चाहिए । 5. अभ्यर्थी को संहतजानु, चपटा पाव, फूली हुई शिराएं और तिर्यक आंख वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्ष पालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो । 6. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी होगी ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
100% सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात :— (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है ।	लागू नहीं होता ।

(13)		(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—		लागू नहीं होता ।
1. कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—अध्यक्ष	
2. उप कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,	—सदस्य	
3. सहायक कमाण्डेन्ट (सिविल), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—सदस्य	

[फा. सं. आर. दो-21/2010-भर्ती (पायनिर)/केरिपुबल/कार्मिक-2]

वरुण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक 2)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certion (Group B and C Posts) in the Pioneer cadre in the Central Reserve Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B and C Posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The number of said posts, their classifications and pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the above-said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sub-Inspector (Civil)	20*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade pay Rs. 4200	Selection	Not applicable	Between 21 to 30 years. Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note** :— The crucial date for determining the age limit in each case shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Intermediate with three years diploma in Civil Engineering from a recognized Board/Institution or University or equivalent. (1) Must possess the following minimum physical and medical standard namely :— (a) Height—170 cm (b) Chest—80 cm (Un-expanded) and 85 cm (Expanded) Weight : Corresponding to height.	Not applicable	Two years

(8)
(2) Eye sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 both eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (3) Colour vision : The candidates must possess high colour vision. (4) The candidates must not have knock-knee flat foot or squint in eyes and they must be in good mental and bodily health and free from and physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. (5) Candidates will have to pass the Written test, Physical Efficiency Test, Interview and Medical Examination.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)	(12)
50% by promotion failing which by deputation, 50% by direct recruitment.	**Promotion :** Head Constables (Pioneer) of Central Reserve Police Force with not less than 10 years regular service in the grade and subject to qualifying the promotional course as prescribed and being in Medical category Shape-I **Deputation :** From amongst the Officers of the Central and State Public Works Departments or Central Para Military organizations : (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under Col. 8 (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly the deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)		(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of *(for considering promotion and confirmation)* :—		Not applicable
1. Dy. Inspector General of Police, Central Reserve Police Force	—Chairman	

(13)

2. Commandant Central Reserve Police Force —Member
3. Deputy Commandant Central Reserve Police Force — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Head Constable (Pioneer)	60* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade pay Rs. 2400	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Constable (Pioneer) with eight years regular service in the grade subject to qualifying the courses prescribed as per requirement and being in Medical Category SHAPE-I **Deputation :** From amongst the officers of the Central/State Public Works Departments or Central Para Military Organizations :— (a) holding analogous posts on regular basis, and (b) having three years diploma in Civil Engineering from a recognized institute or equivalent; or Matriculation or equivalent with three years experience in trades like Massonary/Carpenter/Plumbling/Electrician/Balcksmith/Welding/Painting etc. Preference will be given to these having certificate of trade from an Industrial Training Institution/recognized institutions. **Note :**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such or qualifying or eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade amongst their junior who have completed such qualifying or eligibility services. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

2212 GI/10-3

(11)	(12)
	The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Dy. Inspector General of Police, Central Reserve Police Force —Chairman 2. Commandant Central Reserve Police Force —Member 3. Deputy Commandant Central Reserve Police Force — Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Constable (Pioneer)	120*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 23 years. Relaxable for Government servants upto 40 years. (Relaxable in the case of Scheduled Caste/ the Scheduled Tribe/Other Backward Classes candidates and other special categories of persons in accordance with the order issue by the Central Government from time to time). **Note :**—The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut of date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)
1. **Matriculation or equivalent from recognised Board :** (a) one year experience in respective trades like Massonry or Carpentry or Plumbing or Electrician or Blacksmith or Welding or Painting etc. (b) preference will be given to those having certificate of trade from recognised Industrial Training Institute. 2. **Physical Standard :** Height - 170 Cms Chest - 80 Cms (85 Cms after expansion) Weight - Proportionate to height and age as per medical standards. 3. **Eye sight :** The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses. 4. **Colour Vision :** The candidates should possess high colour vision.	Not applicable	Two years

(8)
5. The candidates must not have knock-knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. 6. Candidates will have to pass the Physical Standard Test/ Physical Efficiency Test, Written Test and Medical Examination.

(11)	(12)
100% by direct recruitment **Note:**— Vacancies caused or the incumbent being away on deputation or long illness or long leave or under any circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) holding analogous posts on regular basis; (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Commandant Central Reserve Police Force —Chairman 2. Dy. Commandant —Member 3. Assistant Commandant (Civil) — Member	Not applicable

[F. No. R. II-21/2010-Recruitment (Pioneer)/CRPF/Pers. II]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers. II)

Printed by the Manager, Government. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.